

No. I-45011/9/2020-Ad(CD)
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Disaster Management Division)

3rd Floor, B- Wing, NDCC-II Building,
Jai Singh Road, New Delhi-110001
Dated 4 July, 2023

To

1. The Chief Secretaries of all States
2. Head of Fire Services of all States

Sub: Scheme for Expansion and Modernization of Fire Services in the States from the earmarked allocation of Preparedness and Capacity Building Funding Window under the National Disaster Response Fund (NDRF) - based on the recommendations of Fifteenth Finance Commission (XV-FC) -regarding.

Madam/Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter No. 33-02/2020-NDM.I dated 22.04.2022 vide which the Guidelines on constitution and administration of 'Preparedness and Capacity Building Funding Window' with the National Disaster Response Fund (NDRF) at National level and State Disaster Response Fund(SDRF) at State level, were issued.

2. XV-FC, in para 8.77 of its report, had recommended an earmarked allocation of Rs. 5,000 Crore from the funding window of 'Preparedness and Capacity Building' under NDRF for strengthening fire services in the States in the next five years (i.e. award period for the financial years 2021-22 to 2025-26). Therefore, keeping in view the recommendations of XV-FC, and in consultation with the State Governments and all the stakeholders, a scheme for Expansion and Modernization of Fire Services in the States has been framed by this Ministry.

3. A copy of the scheme is enclosed for guidance and necessary action at your end. The scheme can also be downloaded from the website of Disaster Management Division of Ministry of Home Affairs i.e. www.ndmindia.mha.gov.in. The State Governments are further requested to work out their project proposals for funding under 'Preparedness and Capacity Building' window of NDRF in line with the scheme.

4. A copy of this communication is also being sent to the Accountants Generals of the States for information.

Encl: As above

Yours faithfully,

(RK Anluwalia)

Deputy Secretary to the Government of India

Copy to:

1. Secretary, D/o Expenditure, Government of India.

/3055013/2023

2. Member & Secretary (I/C), National Disaster Management Authority, NDMA Bhawan, Safdarjung Enclave, New Delhi.
3. DG (FS, CD&HG), East Block-VII, Level - VII, RK Puram, New Delhi - with request to liaise with the States' authorities for further necessary action in the matter.
4. Comptroller & Auditor General (CAG), New Delhi.
5. Controller General of Accounts (CGA), New Delhi.
6. Accountants General of all States.

Copy for information to:-

1. All Ministries/Departments, Government of India.
2. DG, NDRF, 6th Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi.
3. Executive Director, National Institute of Disaster Management, 4th Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi.
4. PS to HM/ PS to MOS(N)/ PSO to HS/ PPS to AS(DM).

**SCHEME FOR EXPANSION AND MODERNIZATION OF FIRE SERVICES IN THE STATES
FROM THE EARMARKED ALLOCATION OF
PREPAREDNESS AND CAPACITY BUILDING FUNDING WINDOW
UNDER NATIONAL DISASTER RESPONSE FUND**

Introduction:

The Fifteenth Finance Commission (XV-FC) recommended an allocation of 12.5 percent of each of the National Disaster Response Fund (NDRF) and State Disaster Response Fund (SDRF) [10% of the total corpus of the National Disaster Risk Management Fund (NDRMF) and the State Disaster Risk Management Fund (SDRMF)] for the Funding Window of Preparedness and Capacity Building.

Objective:

2. XV-FC further made a provision for earmarking of allocation against certain priorities. One of the priorities is “Expanding and Modernization of Fire Services” within NDRF with a view that:-

- Activities for strengthening of fire services at the State level through preparedness and capacity-building component of the NDRF will be ensured under the priority “expanding and modernization of fire services”,
- States need to submit specific proposals for these funds,
- Supervision of utilization of funds by the States will be ensured
- Resources should ideally provide a top-up to the existing programmes; and,
- Guidelines for earmarked allocations will be framed

3. Out of the total NDRF corpus, an amount of Rs. 5,000 Crore (comprising 10% of the corpus) was earmarked for priority “Expanding and Modernization of Fire Services” for the award period, i.e., for 2021-2026. It was also decided that there shall be no spill-over for the liabilities committed for the projects sanctioned against earmarked allocation beyond the award period.

Funding pattern:

4. From earmarked allocation of Rs. 5,000 Crore, an amount not exceeding Rs. 4,500 Crore are provisioned for various activities towards expansion and modernization of the fire services in States. Remaining Rs. 500 Crore are kept for incentivizing the States on the basis of their legal and infrastructure-based reforms.

5. For seeking funds for the projects / proposals under ‘Expansion and Modernization of Fire Services’ through Preparedness and Capacity Building Funding Window, the concerned State Governments shall have to contribute 25% (except for the North-Eastern and Himalayan (NEH) States which shall contribute 10%) of the total cost of such projects / proposals from their respective budgetary resources.

6. For earmarking fund allocation to the individual States and to suggest pro-rata share for 28 States, three criteria are identified under the scheme. These criteria, along with the weightage percentage assigned, are as under:-

Sl. No.	Criteria	Weightage percentage
(i)	Population of the State	50%
(ii)	Area of the State	25%
(iii)	Urbanization of the State	25%

7. As stated in the para 6 of the scheme pro-rata budget allocation to the States from central contribution of Rs. 4,500 Crore for the award period of XV-FC and corresponding States Share is drawn out at **Annexure-A**. Against the central Government share of Rs 4499.84 Crore for the scheme the contribution from the States comes to Rs 1387.99 Crore.

Item/ Activities covered:

8. For the funding under the scheme, the identified activities are broadly categorized under two headings viz. (a) expansion of fire services, and (b) modernization of fire services. There will be flexibility in the sub-categories to meet the State specific requirement. The components / activities and the percentage allocation thereof will be as under:-

S. No	Components/ Activities	Percentage Allocation	Description
1	Expansion of Fire Services		
	Setting up of new Fire Stations, and strengthening of State Training Centres and Capacity Building	30%	<p>(A) Setting up of New Fire Stations:</p> <p>New fire stations will be constructed with integrated facility including the facilities for accommodation of on-duty personnel along with the minimum firefighting equipment, vehicle, PPE, and water sources.</p> <p>The funds will be provided for the opening of two bay fire stations with one Mini Water Tender with Mist Technology and one Water Tender with Search and Rescue equipment. Approximately Rs. 6.00 (six) Crores may be required per fire station.</p> <p>No funds will be utilized for construction of staff quarters. Residential / staff quarters for the personnel should not be part of this project proposal.</p> <p>State Governments are required to make provisions for land for the fire stations, including the cost of fire services staff.</p> <p>New Fire Stations should be set up keeping in view the expansion of fire services so that adequate fire protection coverage is provided to the urban and rural areas.</p>
		5%	<p>(B) Strengthening of State Training Centres and Capacity Building:</p> <p>Some of the States do not have adequate facilities to train their firefighters, volunteers and community in fire prevention measures, awareness programme, etc. Hence, the States may strengthen the Training Centre in their states by provisioning of training aids, equipment, development of technical training modules etc.</p> <p>States will ensure that fund earmarked for training and capacity building will not be used for any construction</p>

			activities.
2	Modernization of Fire Services		
(a)	Provision of Modern Fire fighting Equipment	(50%)	<p>Provision of Firefighting Vehicle and Equipment to all the States based on the requirement of the State Government should be made.</p> <p>An indicative list of Firefighting Vehicle and Equipment is at Annexure - B. The specifications of these appliances can be recommended by the SFAC.</p>
(b)	Strengthening of State Headquarters and Urban Fire Stations		<p>Strengthening of infrastructure in urban Fire Stations, in city having population of more than 10 lakhs, subject to the condition that at least one city will be selected from the State for upgrading integrated command and control system with GPS/GIS in each vehicle and 112 voice logger system at control room, wireless addressable detection and communication system (important occupancies such as high rise buildings, hospitals, government offices and other vital installation will be directly linked up with the control room of the city).</p> <p>Apart from the above, a control room in the state and district headquarters will be set up. All the fire management resources and facilities should be supported through control rooms, call centres, and emergency numbers.</p> <p>Fire services must have state of art communication facilities. It should have robust in-built redundancies so that there is no communication breakdown within the area of service. The fire services need to have all possible connectivity like telephone, Internet, computerized voice logger, GIS, static and mobile wireless sets, mega phones and satellite communication, etc,. All supervisor and response locations (central control room, division fire stations, and area fire station) should be linked. It should also be linked to the District Emergency Operation Centre (DEOC).</p> <p>Computerization of Fire and Emergency Services is highly recommended. All the fire stations and fire vehicles should be tracked through GPS instruments. All the Fire Stations in the States should be connected through Intranet and fire personnel should be trained properly in GIS and computer application.</p> <p>This provision will include development of online NOC portal for issuing the NOC to all occupancies involving third party fire audit.</p> <p>States will ensure that 10% of the fund provisions under this component should be utilized for Strengthening of State Headquarters & Urban areas so that the purpose</p>

			of strengthening the fire measures in the States Headquarters and Urban areas is adequately achieved.
(c)	State Specific Demand	(15%)	<p>The States can raise their demand as top-up for their respective ongoing projects, requiring additional financial assistance.</p> <p>The resources will not be restricted only to provide top-up of existing programmes. Low capacity States who are not having any existing programmes may also raise the demand under their share of allocated budget.</p> <p>Further there should be flexibility in the sub-categories of modernization of fire services to meet the state specific requirement. The activities/components and fund provisions therefor should be suitably utilized by the states as per their need and priority.</p>

Funds for incentivizing States:

9. For remaining Rs. 500 Crore out of the total earmarked allocation of Rs. 5,000 Crore under the scheme is proposed to be kept for incentivizing the States on the basis of their legal and infrastructure-based reforms. The disbursement out of the proposed incentivized amount shall be made over and above the fund for the above-mentioned approved activities as well as for any other creative / innovative approach in fire services matters. The fund provisions prescribed for such approved activities will be decided by Ministry of Home Affairs on case to case basis.

Project Monitoring Unit (PMU):

10. An *in house* Project Monitoring Unit (PMU) will also be set up in the Office of DG (FS, CD & HG) to function as a monitoring mechanism. The PMU will facilitate finalization of State-wise plan as well as handholding advices to them. PMU will also provide assistance to the States in Fire Services matters and help in capacity building of the States. Fund for the PMU shall be met from the remaining Rs. 500 Crore out of the total earmarked allocation. The period of functioning of PMU will be coterminous to the scheme. Services of the above mentioned Experts/ operation staff/ IT staff shall be used as per the requirement besides the above-mentioned purposes. The detail Term of References (ToR) for the selection of the Experts/ operation staff/ IT staff will be prepared separately. Formation of any PMU at State level will not be permissible under the scheme. DG (FS, CD & HG) will prepare an IT-based programme monitoring framework for the programme. It will include all the details of the programme- allocation, expenditure, activities, results and outcome. In addition, DG (FS, CD & HG) will prepare a GIS-based database of all the fire stations, with their capacities and resources. The ceiling for expenditure towards PMU will not exceed 0.5% of Central share of the allocation.

11. Approval mechanism:

11. 1 For expansion & modernization proposals:

(a) Sanction of fund to the State Government will be done as per the laid down procedure prescribed under the guidelines for constitution and administration of Preparedness and Capacity Building (P&CB) Funding Window under NDRF /SDRF, which *inter-alia* stipulates (i) processing of the proposal at the level of the Appraisal Committee in NDMA for recommendation; and, (ii) approval of the proposal by Sub Committee-National Executive

Committee (SC-NEC) / High Level Committee (HLC). The composition of HLC and SC-NEC will be same as envisaged in the primary guidelines for NDRF/ SDRF.

(b) States need to submit their proposal to DG (FS, CD & HG) in the Ministry of Home Affairs (MHA) for allocation of fund under the scheme in the prescribed format. The proposal should contain the details of activities proposed under the different categories along with cost structure and time-frame for implementation. The proposal should contain the details of existing level of appliances and equipment, and how the new appliances and equipment would help augment the capacity of these fire stations. DG (FS, CD & HG), before placing the proposal for recommendation by the Appraisal Committee in the NDMA, will vet such proposals through PMU for the following issues:-

- (i) The proposal should be for permissible activities and laid-down equipment;
- (ii) Necessity of items/equipment to be procured by the States are vetted;
- (iii) Reasonableness of cost of the equipment in the project proposal;
- (iv) Salary of the employees under the projects is not part of the project. Salaries of employees are exclusively borne by the respective State;
- (v) The States must agree to contribute 25% (10% for NEH States) of the total cost of the proposal; and,
- (vi) In case the project cost exceeds the pro-rata share of funds laid down for the State, the difference will be borne by the respective State.

(c) Each proposal will be processed at the level of the Appraisal Committee in NDMA for recommendation and subsequently for approval of the proposal by the SC-NEC / HLC, as the case may be.

(d) After the project is approved, the funds would be disbursed in installments as specified in the proposal. Disbursement of funds after first allocation / release would be linked to the deliverables and Utilization Certificates.

(e) Upon the approval of the SC-NEC / HLC, Department of Expenditure, Ministry of Finance, will release assistance from the P&CB funding window of the NDRF to the concerned State Governments based on the recommendations of the MHA. Procedure, as *in vogue* for release of funds under the NDRF, shall apply to "Expansion and Modernization of Fire Services" under Preparedness and Capacity Building Funding Window also.

11.2 Approval mechanism for incentivization :

a) For the purpose of fund allocation from remaining Rs. 500 Crore, kept in the form of incentivizing the States, a Screening Committee will be formed with members from NDMA, DG (FS, CD &HG) and Disaster Management Division, MHA.

b) The designated Screening Committee will process the case for incentive based fund provisions to the States to MHA.

c) After recommendation of the Screening Committee, the proposal will be approved by the MHA. Procedure as in vogue for release of fund under NDRF shall be applied for release of fund for incentivizing States.

d) Upon approval, D/o Expenditure, Ministry of Finance, will release funds to the States out of Rs. 500 Crore of the earmark allocation of P&CB funding window under NDRF.

11.3 Procurement

The procurement of equipment should follow the procurement rules laid down by the State Government / GeM. All the procurements must be made based on competitive bidding.

Supervision:

12. In order to ensure the responsibility of the State for proper utilization of funds, a Memorandum of Understanding (MoU) will be signed between respective States and the DG (FS, CD & HG) before releasing the fund to the States.

13. The DG (FS, CD & HG), with the support of NDMA, would organize an annual workshop every year to review the progress of the programme. The programme implementation, the legal and institutional progress, as well constraints and challenges would be discussed during the workshop. In addition, regional workshop can also be organized as needed.

14. Sanction of fund to the State Government will be done as per the laid down procedure prescribed under the guidelines for constitution and administration of preparedness and capacity building funding window under NDRF /SDRF. Funds would be disbursed in installments as per approved proposal. Disbursement of funds would be linked to the deliverables and Utilization Certificates.

15. Other provisions as contained in the guidelines on Constitution and Administration of Preparedness and Capacity Building Funding Window under NDRF / SDRF issued vide communication No. 33-02/2020-NDM.I dated 22.04.2022 shall apply *mutatis mutandis* to the scheme for earmarked allocation for expansion and modernization of Fire Services.

Annexure A

Pro rata Budget Allocation for the States from the earmarked allocation of Rs. 4,500 Crore for the award period of XV-FC. (While apportioning the pro-rata fund provisions, under the prescribed three criteria, Those states which were getting less than Rs. 50 Crore of fund allocation, are compensated with Rs. 25 Crore uniformly.)

Rs. In Crore

Sr. No	List of States	State Share %	Budget to be Allocated to the States from Rs. 4,500 Crore of the total earmarked allocation	State contribution (25% of the fund) [*10% of the allocated fund North Eastern and Himalayan (NEH) States)	Total Project cost
1	Andhra Pradesh	4.22	189.7	63.23	252.93
2	Arunachal Pradesh*	1.28	57.57	6.39	63.96
3	Assam*	2.15	96.73	10.74	107.47
4	Bihar	5.68	255.69	85.23	340.92
5	Chhattisgarh	2.46	110.82	36.94	147.76
6	Goa	0.7	31.63	10.54	42.17
7	Gujarat	5.65	254.27	84.75	339.02
8	Haryana	1.94	87.48	29.16	116.64
9	Himachal Pradesh*	1.31	58.8	6.53	65.33
10	Jharkhand	2.47	111	37.00	148.00
11	Karnataka	5.5	247.42	82.47	329.90
12	Kerala	2.72	122.41	40.80	163.21
13	Madhya Pradesh	6.63	298.15	99.38	397.54
14	Maharashtra	10.26	461.61	153.87	615.48
15	Manipur*	0.9	40.5	4.50	45.00
16	Meghalaya*	0.89	39.94	4.43	44.37
17	Mizoram*	0.8	36	4.00	40.00
18	Nagaland*	0.8	36.05	4.00	40.05
19	Odisha	3.35	150.83	50.27	201.10
20	Punjab	2.19	98.67	32.89	131.56
21	Rajasthan	6.53	293.73	97.91	391.64
22	Sikkim*	0.65	29.03	3.22	32.25
23	Tamil Nadu	6.22	280	93.33	373.33
24	Telangana	3.17	142.61	47.53	190.14
25	Tripura*	0.85	38.15	4.23	42.38
26	Uttar Pradesh	12.83	577.43	192.47	769.90
27	Uttarakhand*	1.58	71.03	7.89	78.92
28	West Bengal	6.28	282.57	94.19	376.76
	Total	100	4499.84	1387.99	5887.83

Indicative list of Firefighting vehicle and Equipment

- i. Hydraulic Platform as per requirement
- ii. Turn Table Ladder as per requirement,
- iii. Motorcycle mist fire fighting units / Small vehicles with not less than 500 litres capacity water mist fire fighting unit as per requirement (to cater to the need in cities having congested areas / narrow lanes for immediate quick response),
- iv. Hazmat Vans,
- v. Emergency Rescue and medical containers with high-tech equipment along with Trailer,
- vi. Light Rescue Tender
- vii. Mini-Water Tenders with piercing facilities,
- viii. Quick Response multi-purpose vehicles,
- ix. Water Bowser/Advance Water Tenders,
- x. Robots,
- xi. Drone,
- xii. Quick Response Vehicles (QRVs) with High Pressure Pumps (HPP),
- xiii. Rescue equipment/Combi - Tools (CT),
- xiv. Personnel protective equipments,
- xv. Inflatable Rescue Boats,
- xvi. Motorcycle with mist firefighting unit
- xvii. Firefighting fittings

राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के अंतर्गत
तैयारी और क्षमता निर्माण फंडिंग विंडो
के निर्धारित आबंटन से

राज्यों में अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु स्कीम

प्रस्तावना:

पंद्रहवें वित्त आयोग ने तैयारियों और क्षमता निर्माण की फंडिंग (वित्त-पोषण) विंडो के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा मोचन निधि [राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएफ) के कुल निधि का 10%] में से प्रत्येक के 12.5 प्रतिशत के आबंटन की अनुशंसा की।

उद्देश्य:

2. पंद्रहवें वित्त आयोग ने आगे कुछ प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए आबंटन निर्धारित करने का प्रावधान किया। एनडीआरएफ के भीतर प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता "अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण" है जिसका लक्ष्य यह है कि: -

- एनडीआरएफ की तैयारी और क्षमता निर्माण घटक के माध्यम से राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने संबंधी कार्यों को "अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण" प्राथमिकता के तहत सुनिश्चित किया जाएगा,
- राज्यों के लिए आवश्यक है कि इन निधियों के लिए विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करें,
- राज्यों द्वारा धनराशि के उपयोग का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाएगा,
- मौजूदा कार्यक्रमों के लिए टॉप-अप के रूप में आदर्श रूप से संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए; और,
- निर्धारित आबंटन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

3. कुल एनडीआरएफ निधि में से "अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण" की प्राथमिकता हेतु 5,000 करोड़ रुपये (निधि का 10%) का निर्धारण अवार्ड अवधि अर्थात् वर्ष 2021-2026 के लिए किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि अवार्ड अवधि के बाद निर्धारित आबंटन के लिए स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्रतिबद्ध देयताओं के लिए इसका कोई उपयोग नहीं होगा।

फंडिंग पद्धति:

4. इस निर्धारित 5,000 करोड़ रुपये के आबंटन से, राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में विभिन्न कार्यों के लिए 4,500 करोड़ रुपये से अनधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है। शेष 500 करोड़ रुपये राज्यों को उनके कानूनी और अवसंरचना आधारित सुधारों के आधार पर प्रोत्साहन देने के लिए रखे गए हैं।

5. तैयारी और क्षमता निर्माण वित्त-पोषण विंडो के माध्यम से 'अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण' के अंतर्गत परियोजनाओं/प्रस्तावों के लिए धनराशि की मांग हेतु, संबंधित राज्य सरकारों को अपने संबंधित बजटीय संसाधनों से ऐसी परियोजनाओं/प्रस्तावों की कुल लागत का 25% योगदान (पूर्वोत्तर और हिमालयी (एनईएच) राज्यों को छोड़कर, जिनका 10% योगदान होगा) करना होगा।

6. अलग-अलग राज्यों के लिए निधि आबंटन निर्धारित करने और 28 राज्यों के लिए आनुपातिक हिस्सेदारी का सुझाव देने के लिए, इस स्कीम के अंतर्गत तीन मानदंडों की पहचान की गई है। दिए गए वेटेज प्रतिशत के साथ ये मानदंड इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	मानदंड	वेटेज प्रतिशत
(i)	राज्य की जनसंख्या	50%
(ii)	राज्य का क्षेत्रफल	25%
(iii)	राज्य का शहरीकरण	25%

7. जैसा कि इस स्कीम के पैरा 6 में वर्णित है, पंद्रहवें वित्त आयोग की अर्वाइ अवधि के लिए राज्यों को 4,500 करोड़ रुपये के केंद्रीय योगदान से राज्यों को यथानुपात बजट आबंटन और तदनुसूची राज्यों का हिस्सा **अनुलग्नक-क** में दर्शाया गया है। इस स्कीम के लिए 4499.84 करोड़ रुपये के केंद्र सरकार के अंश की तुलना में राज्यों का योगदान 1387.99 करोड़ रुपये है।

शामिल किए गए मद /कार्यकलाप:

8. इस स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए, चिन्हित गतिविधियों को मोटे तौर पर दो शीर्षों अर्थात्- (क) अग्निशमन सेवाओं का विस्तार, और (ख) अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण में वर्गीकृत किया गया है। राज्य की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए उप-श्रेणियों में लचीलापन रखा जाएगा। घटक/गतिविधियां और उनका प्रतिशत आबंटन इस प्रकार होगा:-

क्र.सं.	घटक/ गतिविधियाँ	प्रतिशत आबंटन	विवरण
1	अग्निशमन सेवाओं का विस्तार		
	नए अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना, राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढीकरण तथा क्षमता निर्माण	30%	<p>(क) नए अग्निशमन स्टेशनों की स्थापना:</p> <p>अग्निशमन उपकरण, वाहन, पीपीई और जल स्रोतों के साथ ऑन-ड्यूटी कर्मियों के आवास की सुविधा सहित एकीकृत सुविधा के साथ नए अग्निशमन स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा।</p> <p>टू बे अग्निशमन स्टेशन खोलने के लिए, जिसमें मिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एक मिनी वाटर टैंडर तथा खोज और बचाव उपकरण के साथ एक वाटर टैंडर होंगे, के लिए धनराशि का प्रावधान किया</p>

			<p>जाएगा। प्रति अग्निशमन स्टेशन के लिए लगभग 6.00 (छह) करोड़ रु. की आवश्यकता हो सकती है।</p> <p>स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए किसी भी धनराशि का उपयोग नहीं किया जाएगा। कार्मिकों के लिए आवासीय/स्टाफ क्वार्टर इस परियोजना प्रस्ताव का हिस्सा नहीं होने चाहिए।</p> <p>अग्निशमन स्टेशनों के लिए भूमि तथा अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों पर लगने वाली लागत का प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।</p> <p>अग्निशमन सेवाओं के विस्तार को ध्यान में रखते हुए नए अग्निशमन स्टेशनों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा कवरेज प्रदान की जा सके।</p>
		5%	<p>(ख) राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण और क्षमता निर्माण:</p> <p>कुछ राज्यों के पास अपने अग्निशमन कर्मियों, स्वयंसेवियों और समुदाय को आग से बचाव के उपायों, जागरूकता कार्यक्रम आदि में प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए, राज्य अपने राज्यों में प्रशिक्षण सहायक साधनों, उपकरण, तकनीकी प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास आदि का प्रावधान करके उन्हें सुदृढ बना सकते हैं।</p> <p>राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए निर्धारित निधि का उपयोग किसी भी निर्माण गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा।</p>
2	अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण		
(क)	आधुनिक अग्निशमन उपकरणों का प्रावधान	(50%)	<p>राज्य सरकार की आवश्यकता के आधार पर सभी राज्यों को अग्निशमन वाहन और उपकरण का प्रावधान किया जाना चाहिए।</p> <p>अग्निशमन वाहन और उपकरण की सांकेतिक सूची अनुलग्नक-ख पर दी गयी है। इन उपकरणों की विशिष्टताओं संबंधी अनुशंसा एसएफएसी द्वारा की जा सकती है।</p>
(ख)	राज्य मुख्यालय और शहरी अग्निशमन		<p>10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शहरी अग्निशमन स्टेशनों में अवसंरचना का सुदृढीकरण, इस शर्त के अधधीन है कि राज्य द्वारा कम से कम एक ऐसे शहर का चयन किया जाएगा जहाँ</p>

स्टेशनों का
सुदृढीकरण

एकीकृत कमान और नियंत्रण प्रणाली के लिए जीपीएस/जीआईएस से लैस प्रत्येक वाहन तथा लॉगर सिस्टम का समुन्नयन तथा वायरलेस एड्रेसेबल डिटेक्शन और कम्युनिकेशन सिस्टम के 112 वॉयस कंट्रोल रूम का समुन्नयन हो (जो महत्वपूर्ण स्थान जैसे ऊंची इमारतें, अस्पताल, सरकारी कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान सीधे शहर के कंट्रोल रूम से जुड़े होंगे) ।

उपर्युक्त के अलावा, राज्य और जिला मुख्यालयों में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। सभी अग्निशमन प्रबंधन संसाधन और सुविधाएं नियंत्रण कक्ष, कॉल सेंटर और आपातकालीन नंबरों के माध्यम से जुड़ी होनी चाहिए।

अग्निशमन सेवाओं में अत्याधुनिक संचार सुविधाएं होनी चाहिए। इसमें अधिक संख्या में मजबूत अंतर्निहित अतिरिक्त व्यवस्थाएँ होनी चाहिए ताकि सेवा के क्षेत्र में किसी भी तरह से संचार व्यवस्था भंग न हो। अग्निशमन सेवाओं के लिए टेलीफोन, इंटरनेट, कम्प्यूटरीकृत वॉयस लॉगर, जीआईएस, स्थिर और मोबाइल वायरलेस सेट, मेगा फोन और उपग्रह संचार आदि जैसी सभी संभावित कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। सभी सुपरवाइजर और कार्रवाई स्थल (केंद्रीय नियंत्रण कक्ष, प्रभागीय अग्निशमन स्टेशन और क्षेत्र अग्निशमन स्टेशन) को जोड़ा जाना चाहिए। इसे जिला आपातकालीन प्रचालन केंद्र (डीईओसी) से भी जोड़ा जाना चाहिए।

अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। सभी अग्निशमन केंद्रों और अग्निशमन वाहनों को जीपीएस उपकरणों के माध्यम से ट्रैक किया जाना चाहिए। राज्यों के सभी अग्निशमन स्टेशनों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए और अग्निशमन कर्मियों को जीआईएस और कंप्यूटर एप्लीकेशन में ठीक से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

इस प्रावधान में तृतीय पक्ष अग्निशमन लेखापरीक्षा से जुड़े सभी लोगों को एनओसी जारी करने के लिए ऑनलाइन एनओसी पोर्टल का विकास शामिल होगा।

राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि इस घटक के अंतर्गत निधि प्रावधानों का 10% राज्य मुख्यालयों और शहरी क्षेत्रों के सुदृढीकरण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए ताकि राज्य मुख्यालयों और शहरी क्षेत्रों में अग्निशमन उपायों को मजबूत करने के लक्ष्य को पर्याप्त रूप से

			प्राप्त किया सके।
(ग)	राज्य विशिष्ट मांग	(15%)	<p>राज्य अपनी संबंधित चल रही परियोजनाओं के लिए टॉप-अप के रूप में अपनी मांग रख सकते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।</p> <p>संसाधन केवल मौजूदा कार्यक्रमों के टॉप-अप प्रदान करने तक ही सीमित नहीं होंगे। कम क्षमता वाले राज्य जिनके पास कोई मौजूदा कार्यक्रम नहीं है, वे भी आबंटित बजट के अपने हिस्से के अंतर्गत मांग उठा सकते हैं।</p> <p>इसके अलावा, राज्य की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण की उप-श्रेणियों में लचीलापन होना चाहिए। राज्यों द्वारा अपनी आवश्यकता और प्राथमिकता के अनुसार गतिविधियों / घटकों और उनके लिए प्रावधान की गई निधि का उपयुक्त उपयोग किया जाना चाहिए।</p>

राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए निधियां:

9. योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए के कुल निर्धारित आबंटन में से शेष 500 करोड़ रुपए राज्यों को उनके कानूनी और अवसंरचना आधारित सुधारों के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए रखा जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित प्रोत्साहन राशि में से संवितरण उपर्युक्त अनुमोदित कार्यकलापों के लिए निधि से इतर और अग्निशमन सेवाओं के मामलों में किसी अन्य रचनात्मक/नवोन्मेषी दृष्टिकोण के लिए किया जाएगा। ऐसे अनुमोदित कार्यकलापों के लिए निर्धारित निधि संबंधी प्रावधानों का निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा मामला दर मामला आधार पर लिया जाएगा।

परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू):

10. निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए डीजी (एफएस, सीडी और एचजी) के कार्यालय में एक आंतरिक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) भी स्थापित की जाएगी। पीएमयू राज्यवार योजना को अंतिम रूप देने के साथ-साथ उन्हें सलाह देने में मदद करेगा। पीएमयू राज्यों को अग्निशमन सेवा मामलों में सहयोग करने के साथ साथ राज्यों की क्षमता निर्माण में भी मदद करेगा। पीएमयू के लिए स्वीकृत कार्यकलापों को निर्धारित आबंटन में से शेष 500 करोड़ रुपए निधि से पूरा किया जाएगा। पीएमयू के कामकाज की अवधि योजना के सहकालिक होगी। उपर्युक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार उपर्युक्त विशेषज्ञों/ऑपरेशन स्टाफ/आईटी स्टाफ की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। विशेषज्ञों/ऑपरेशन स्टाफ/आईटी स्टाफ के चयन के लिए संदर्भ की विस्तृत शर्तें (टीओआर) अलग से तैयार की जाएंगी। योजना के तहत राज्य स्तर पर किसी भी पीएमयू के गठन की अनुमति नहीं होगी। डीजी (एफएस, सीडी और एचजी) कार्यक्रम के लिए एक आईटी आधारित कार्यक्रम निगरानी रुपरेखा तैयार

करेंगे। इसमें कार्यक्रम के सभी विवरण- आबंटन, व्यय, कार्यकलाप, परिणाम और निष्कर्ष शामिल होंगे। इसके अलावा, डीजी (एफएस, सीडी और एचजी) सभी फायर स्टेशनों की क्षमता और संसाधनों के साथ जीआईएस आधारित डेटाबेस तैयार करेंगे। पीएमयू के लिए व्यय की सीमा आबंटन के केंद्रीय हिस्से के 0.5% से अधिक नहीं होगी।

11. अनुमोदन तंत्र:

11.1 विस्तार एवं आधुनिकीकरण प्रस्तावों के लिए :

(क) राज्य सरकार को निधि की मंजूरी एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण फंडिंग विंडो के गठन और प्रशासन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) सिफारिश के लिए एनडीएमए में मूल्यांकन समिति के स्तर पर प्रस्ताव की प्रक्रियाकरण; और, (ii) उप समिति-राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एससी-एनईसी)/ उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन का निर्धारण एचएलसी और एससी-एनईसी की संरचना एनडीआरएफ / एसडीआरएफ के लिए प्राथमिक दिशानिर्देशों में परिकल्पित किए गए के अनुसार होगी।

(ख) राज्यों को योजना के तहत निधि के आवंटन के लिए गृह मंत्रालय में डीजी (एफएस, सीडी और एचजी) को अपना प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। प्रस्ताव में कार्यान्वयन के लिए लागत संरचना और समय-सीमा के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यकलापों का विवरण शामिल होना चाहिए। प्रस्ताव में उपयंत्रों और उपकरणों के मौजूदा स्तर, और नए उपयंत्र और उपकरण इन फायर स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने में कैसे मदद करेंगे, का विवरण होना चाहिए। डीजी (एफएस, सीडी और एचजी), एनडीएमए में मूल्यांकन समिति द्वारा सिफारिश हेतु प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित मुद्दों के लिए पीएमयू के माध्यम से ऐसे प्रस्तावों की जांच करेंगे: -

- (i) प्रस्ताव अनुमेय कार्यकलापों और निर्धारित उपकरणों के लिए होना चाहिए;
- (ii) राज्यों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं/उपकरणों की आवश्यकता की जांच हुई होनी चाहिए;
- (iii) परियोजना प्रस्ताव में उपकरण की लागत की तर्कसंगतता;
- (iv) परियोजनाओं के तहत कर्मचारियों का वेतन परियोजना का हिस्सा नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों का वेतन विशेष रूप से संबंधित राज्य द्वारा वहन किया जाना चाहिए;
- (v) राज्यों को प्रस्ताव की कुल लागत का 25% (पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों के लिए 10%) अंशदान करने के लिए सहमत होना चाहिए; और,
- (vi) यदि परियोजना लागत राज्य के लिए निर्धारित निधियों के अनुपातिक हिस्से से अधिक है, तो इस अंतर को संबंधित राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव को सिफारिश के लिए एनडीएमए में मूल्यांकन समिति के स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा और तत्पश्चात प्रस्ताव को एससी-एनईसी/एचएलसी, जैसा भी मामला हो, के द्वारा अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

(घ) परियोजना को मंजूरी मिलने के पश्चात, धनराशि का संवितरण प्रस्ताव में यथा निर्दिष्ट किशतों में किया जाएगा। प्रथम आबंटन/रिलीज के पश्चात निधियों का संवितरण प्रदेय वस्तुओं और उपयोगिता प्रमाण पत्रों से जुड़ा होगा।

(ङ) एससी-एनईसी/एचएलसी के अनुमोदन के उपरांत, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों को गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर एनडीआरएफ की तैयारी और क्षमता निर्माण फंडिंग विंडो से सहायता जारी करेगा। एनडीआरएफ के तहत धनराशि जारी करने के लिए प्रचलित प्रक्रिया, तैयारी और क्षमता निर्माण फंडिंग विंडो के तहत "अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण" पर भी लागू होगी।

11.2 प्रोत्साहन के लिए अनुमोदन तंत्र :

क) राज्यों को प्रोत्साहित करने के रूप में रखे गए, शेष 500 करोड़ रुपए से निधि आबंटन के प्रयोजन के लिए, एनडीएमए, डीजी (एफएस, सीडी एंड एचजी) और आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय के सदस्यों के साथ एक जाँच (स्क्रीनिंग) समिति बनाई जाएगी।

ख) मनोनीत जाँच समिति राज्यों के लिए प्रोत्साहन आधारित निधि प्रावधानों के मामले को कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

ग) जाँच समिति की सिफारिश के पश्चात, गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाएगा। राज्यों को प्रोत्साहन देने हेतु निधि जारी करने के लिए एनडीआरएफ के तहत निधि जारी करने के लिए प्रचलित प्रक्रिया ही लागू की जाएगी।

घ) अनुमोदन के उपरांत, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, राज्यों को एनडीआरएफ के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण फंडिंग विंडो के निर्धारित आबंटन के तहत 500 करोड़ रुपए में से धन जारी करेगा।

11.3 खरीद

उपकरणों की खरीद में राज्य सरकार/जीईएम द्वारा निर्धारित खरीद नियमों का पालन किया जाना चाहिए। सभी खरीद प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर की जानी चाहिए।

पर्यवेक्षण:

12. निधि के उचित उपयोग हेतु राज्य की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों को निधि जारी करने से पहले संबंधित राज्यों और डीजी (एफएस, सीडी और एचजी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

13. डीजी (एफएस, सीडी और एचजी), एनडीएमए के सहयोग से, कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए हर साल एक वार्षिक कार्यशाला आयोजित करेंगे। कार्यशाला के दौरान कार्यक्रम

कार्यान्वयन, कानूनी और संस्थागत प्रगति के साथ-साथ बाधाओं और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जा सकता है।

14. राज्य सरकार को निधि की मंजूरी एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण फंडिंग विंडो के गठन और प्रशासन के दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जाएगी। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार राशि का संवितरण किशतों में किया जाएगा। निधियों के संवितरण को प्रदेय वस्तुओं और उपयोगिता प्रमाण पत्रों से जोड़ा जाएगा।

15. एनडीआरएफ / एसडीआरएफ के तहत दिनांक 22.04.2022 के पत्राचार संख्या 33-02/2020-एनडीएम.। के तहत जारी तैयारी और क्षमता निर्माण फंडिंग विंडो के गठन और प्रशासन से संबंधित दिशानिर्देशों में निहित अन्य प्रावधान अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु निर्धारित आबंटन हेतु योजना के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

अनुलग्नक क

15^{वें} वित्त आयोग की अवार्ड अवधि हेतु 4,500 करोड़ रुपए के निर्धारित आबंटन से राज्यों के लिए यथानुपात बजट आवंटन। (निर्धारित तीन मानदंडों के तहत, निधि प्रावधानों को यथानुपात विभाजित करते हुए, जिन राज्यों को 50 करोड़ रुपए से कम निधि आबंटन प्राप्त हो रहा था, उन्हें समान रूप से 25 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति दी जाती है।)

करोड़ रु. में

क्र. सं.	राज्यों की सूची	राज्य अंश %	4,500 करोड़ रुपए के कुल निर्धारित आवंटन से राज्यों हेतु बजट आबंटन	राज्य का अंशदान (निधि का 25%)* आबंटित निधि का 10% उत्तर-पूर्वी और हिमालयी (एनईएच) राज्यों हेतु)	कुल परियोजना लागत
1	आंध्र प्रदेश	4.22	189.7	63.23	252.93
2	अरुणाचल प्रदेश*	1.28	57.57	6.39	63.96
3	असम*	2.15	96.73	10.74	107.47
4	बिहार	5.68	255.69	85.23	340.92
5	छत्तीसगढ़	2.46	110.82	36.94	147.76
6	गोवा	0.7	31.63	10.54	42.17
7	गुजरात	5.65	254.27	84.75	339.02
8	हरियाणा	1.94	87.48	29.16	116.64
9	हिमाचल प्रदेश*	1.31	58.8	6.53	65.33
10	झारखंड	2.47	111	37.00	148.00
11	कर्नाटक	5.5	247.42	82.47	329.90
12	केरल	2.72	122.41	40.80	163.21
13	मध्य प्रदेश	6.63	298.15	99.38	397.54
14	महाराष्ट्र	10.26	461.61	153.87	615.48
15	मणिपुर*	0.9	40.5	4.50	45.00
16	मेघालय*	0.89	39.94	4.43	44.37
17	मिजोरम*	0.8	36	4.00	40.00
18	नागालैंड*	0.8	36.05	4.00	40.05
19	ओडिशा	3.35	150.83	50.27	201.10
20	पंजाब	2.19	98.67	32.89	131.56
21	राजस्थान	6.53	293.73	97.91	391.64
22	सिक्किम*	0.65	29.03	3.22	32.25
23	तमिलनाडु	6.22	280	93.33	373.33

24	तेलंगाना	3.17	142.61	47.53	190.14
25	त्रिपुरा*	0.85	38.15	4.23	42.38
26	उत्तर प्रदेश	12.83	577.43	192.47	769.90
27	उत्तराखंड*	1.58	71.03	7.89	78.92
28	पश्चिम बंगाल	6.28	282.57	94.19	376.76
	कुल	100	4499.84	1387.99	5887.83

अग्निशमन वाहन और उपकरण की निर्देशात्मक सूची

- i. आवश्यकता के अनुसार हाइड्रोलिक प्लेटफार्म
- ii. आवश्यकता के अनुसार टर्न टेबल लैडर,
- iii. आवश्यकता के अनुसार मोटरसाइकिल मिस्ट फायर फाइटिंग यूनिट / कम से कम 500 लीटर क्षमता वाले वाटर मिस्ट फायर फाइटिंग यूनिट के साथ छोटे वाहन (तत्काल त्वरित कार्रवाई के लिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों / संकरी गलियों वाले शहरों में जरूरत को पूरा करने के लिए)
- iv. हज़मत वैन,
- v. ट्रेलर युक्त हाई-टेक उपकरणों के साथ इमरजेंसी रेस्क्यू एवं मेडिकल कंटेनर,
- vi. लाईट रेस्क्यू टेंडर
- vii. पियर्सिंग फैसिलिटीज के साथ मिनी-वाटर टेंडर,
- viii. क्लिक रिस्पांस मल्टी-पर्पस वाहन,
- ix. वाटर बाउज़र/एडवांस वाटर टेंडर्स,
- x. रोबोट,
- xi. ड्रोन,
- xii. हाई प्रेशर पंप (एचपीपी) के साथ क्लिक रिस्पांस वाहन (क्यूआरवी)
- xiii. बचाव उपकरण / कॉम्बी - टूल्स (सीटी),
- xiv. कार्मिक सुरक्षा उपकरण,
- xv. इन्फ्लेटेबल रेस्क्यू बोट्स,
- xvi. मिस्ट फायरफाइटिंग यूनिट के साथ मोटरसाइकिल
- xvii. फायरफाइटिंग फिटिंग
